न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–441 सन् 2019

खुर्शीद आलम.....वादी

बनाम

नइमुद्दीन मियां व अन्य .....प्रतिवादीगण

दिनांक– 12.04.2022

उभय पक्ष अनुपस्थित है उचित पैरवी करें। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 02.03.2020 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 02 इदरिश मियां की मृत्यु दिनांक 06.06.2019 को हो गई। प्रतिवादी सं0 02 इदरिश मियां का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर आवेदन में लिखित वारिसानों को प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादपत्र से इदरिश मियां का नाम नाम विलोपित कर आवेदन में लिखित उनके वारिसानों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए। वादी की ओर से धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत आवेदन दाखिल कर विलंब माफ करते हुए निवेदन किया गया एवं वादी की ओर से आदेश 22 नियम 9 के अंतर्गत आवेदन दाखिल कर वाद के उपसमन को अपास्त करने हेतु भी निवेदन किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत

वाद में प्रतिवादी सं0 02 इदरिश मियां पक्षकार थे जिनकी मृत्यु के पश्चात् इनके वारिसानों के प्रतिस्थापित करने हेतु यह प्रतिस्थापना आवेदन वादी की ओर से दाखिल किया गया है। प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र के द्वारा समर्थित है परंतु प्रतिस्थापना आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। वैसी परिस्थिति में न्यायहित में वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन को विलंब माफ करते हुए एवं उपसमन को अपास्त करने हुए 500/—रूपये खर्चा के साथ प्रतिस्थापना आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे वादपत्र से इदरिश मियां का नाम काटकर उनके स्थान पर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि नजारत में जमा करे।

वाद दिनांक 26.04.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।